

**HARYANA ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION  
BAYS NO.33-36, SECTOR-4, PANCHKULA-134112, HARYANA**

**Notification**

**Regulation No. HERC/48/2020/4<sup>th</sup> Amendment/2024:**

In exercise of the powers conferred under Section 181 read with sub-section (5) to (8) of section 42 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling the Commission in that behalf and after previous publication, makes the following regulations to amend the Haryana Electricity Regulatory Commission (Forum and Ombudsman) Regulations, 2020 including all amendments till date (hereinafter referred to as 'the Principal Regulations'):

**1. Short title, Commencement, Extent and Interpretation:**

- 1.1. These Regulations shall be called the Haryana Electricity Regulatory Commission (Forum and Ombudsman) Regulations, 2020 (4<sup>th</sup> Amendment) Regulations, 2024.
- 1.2. These amendments shall come into force with effect from the date of their publication in the Haryana Government Gazette.

**2. The Regulation 3.3 of the Principal Regulations, 2020 shall be substituted as under:**

- 3.3** The appointment of the Ombudsman shall be for a maximum period of three years subject to age limit of 65 years.

**Panchkula  
The 06 September, 2024**

**By Order of the Commission  
Sd/-  
Secretary  
HERC, Panchkula**

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग  
बेज नंबर: 33-36, सेक्टर-4  
पंचकूला -134112 हरियाणा  
अधिसूचना

**विनियमन संख्या: एचईआरसी/48/2020/चतुर्थ संशोधन/2024:** विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 42 की उपधाराओं (5) से (8) और आयोग को इस संबंध में सक्षम अन्य अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के उपरांत, हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (फोरम और ओम्बड्समैन) विनियम, 2020, जिनमें अब तक के सभी संशोधन सम्मिलित हैं (इसके बाद 'मूल विनियम' कहा जाएगा), में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है:

**1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, विस्तार और व्याख्या:**

- 1.1 इन विनियमों को हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (फोरम और ओम्बड्समैन) विनियम, 2020 (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- 1.2 ये संशोधन हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

**2. मूल विनियम, 2020 के विनियमन 3.3 को निम्न प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा:**

- 3.3 ओम्बड्समैन की नियुक्ति 65 वर्ष की आयु सीमा तक व अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी।

आयोग के आदेश द्वारा

पंचकूला  
दिनांक 06 सितम्बर, 2024

हस्ता/-  
सचिव,  
एचईआरसी, पंचकूला